"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)
## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 325] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जुलाई 2023 — आषाढ़ 20, शक 1945

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2023

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–10/2008/38–2. – छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 619/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2008/18256, दिनांक 15–05–2023 द्वारा मैट्स विश्वविद्यालय, गुल्लू, आरंग, जिला–रायपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 140, 141, 142 एवं 143 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति संबंधित विभाग एवं नियामक/सांविधिक अभिकरण से अनुमति प्राप्त किये जाने की शर्त पर प्रदान करता है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**हिना अनिमेष नेताम,** संयुक्त सचिव.

# अध्यादेश 140

## व्यावहारिक मनोविज्ञान ऑनर्स में विज्ञान स्नातक

(बी.एससी. ऑनर्स इन एप्लाइड साइकोलॉजी)

| | |
|---|---|
| 140.1. भूमिका: | व्यावहारिक मनोविज्ञान (ऑनर्स) में विज्ञान स्नातक के लिए यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम बी.एस.सी ऑनर्स इन एप्लाइड साइकोलॉजी होगा। |
| 140. 2 शीर्षक : | बी.एस.सी. ऑनर्स इन एप्लाइड साइकोलॉजी |
| 140. 3 संकाय : | विज्ञान संकाय |
| 140. 4 अवधि : | तीन वर्ष (छह सेमेस्टर ) |
| 140. 5 पात्रता : | सीजी बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान एवं मनोविज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 10 + 2 उत्तीर्ण। |
| 140. 6 सीटें : | बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस यूनिट के एकाधिक इकाई भी प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। |
| 140. 7 प्रवेश प्रक्रिया : | प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। |
| 140. 8 शैक्षणिक वर्ष : | शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होगा। |
| 140. 9 चयन प्रक्रिया : | विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।<br>चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।<br>अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाण–पत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:<br>1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।<br>2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।<br>3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।<br>4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।<br>सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। |
| 140.10 शुल्क | प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित। |
| 140.11 परीक्षा योजना : | विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो। |
| 140.12 पाठ्यक्रम संरचना : | अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। |

140.13 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी भी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

# अध्यादेश 141

## व्यावहारिक मनोविज्ञान में स्नात्कोत्तर

(एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी)

| | |
|---|---|
| 141.1. भूमिका : | व्यावहारिक मनोविज्ञान में विज्ञान स्नात्कोत्तर के लिए के लिए यह अध्यादेश मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी होगा। |
| 141. 2 शीर्षक : | एम.एससी. एप्लाइड साइकोलॉजी |
| 141. 3 संकाय : | विज्ञान संकाय |
| 141. 4 अवधि : | दो साल (चार सेमेस्टर) |
| 141 5 पात्रता : | यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से बीए, मनोविज्ञान एवं बी.एस.सी के साथ स्नातक। |
| 141. 6 सीटें : | बुनियादी इकाई 60 सीटों की होगी। इस यूनिट के एकाधिक इकाई भी प्रबंधन मंडल द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। |
| 141. 7 प्रवेश प्रक्रिया : | प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। |
| 141. 8 शैक्षणिक वर्ष : | शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होगा। |
| 141. 9 चयन प्रक्रिया : | विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक चक्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।<br>चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।<br>अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाण–पत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:<br>1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।<br>2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।<br>3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।<br>4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।<br>सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। |
| 141.10 शुल्क : | प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित। |
| 141.11 परीक्षा योजना : | विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो। |
| 141.12 पाठ्यक्रम संरचना : | अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। |

141.13 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी भी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

# अध्यादेश 142

## क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर ऑफ फिलॉसफी

(एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजी)

**(भारतीय पुर्नवास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/अधिकृत)**

| | |
|---|---|
| 142.1. भूमिका: | इस अध्यादेश को क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर ऑफ फिलॉसफी के लिए मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा जिसका संक्षिप्त नाम एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा। |
| 142. 2 शीर्षक : | एम फिल क्लिनिकल साइकोलॉजी |
| 142. 3 संकाय : | कला और मानविकी संकाय |
| 142. 4 अवधि : | दो वर्ष (वार्षिक) |
| 142. 5 पात्रता : | यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से एमएससी मनोविज्ञान/एम.ए. मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर। |
| 42. 6 सीटें : | मूल इकाई 30 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणकों को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। |
| 142. 7 प्रवेश प्रक्रिया : | प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। राज्य सरकार की आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। |
| 142. 8 शैक्षणिक वर्ष : | शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होगा। |
| 142. 9 चयन प्रक्रिया : | विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।<br>चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।<br>अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा यदि ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:<br>1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।<br>2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।<br>3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।<br>4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।<br>सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुती के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। |
| 142.10 शुल्क | प्रबंधन मंडल द्वारा तय की जाएगी एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय–समय पर यथा विनिश्चित। |

| | |
|---|---|
| 142.11 परीक्षा योजना : | विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो एवं पाठ्यक्रम के अनुरूप। |
| 142.12 पाठ्यक्रम संरचना : | अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुमोदित। |
| 142.13 सामान्य : | पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।<br>किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा। |

# अध्यादेश 143

## नैदानिक मनोविज्ञान (क्लिनिकल साइकोलॉजी) में व्यवसायी डिप्लोमा

(नैदानिक मनोविज्ञान में व्यवसायी डिप्लोमा)

## (भारतीय पुर्नवास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त/अधिकृत)

| | |
|---|---|
| 143. 1 भूमिका : | इस अध्यादेश को नैदानिक मनोविज्ञान में व्यवसायी डिप्लोमा के लिए मैट्स विश्वविद्यालय के अध्यादेश के रूप में जाना जाएगा। |
| 143. 2 शीर्षक : | नैदानिक मनोविज्ञान में व्यवसायी डिप्लोमा |
| 143. 3 संकाय : | कला और मानविकी संकाय |
| 143. 4 अवधि : | एक वर्ष (वार्षिक) |
| 143. 5 पात्रता : | भारत के विश्व विद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से एमए/एम.एस.सी. मनोविज्ञान से स्नातकोत्तर (पोस्ट ग्रेजुएट) उत्तीर्ण। |
| 42. 6 सीटें : | मूल इकाई 30 सीटों की होगी। इस इकाई के गुणकों को प्रबंधन मंडल द्वारा भी स्थापित किया जा सकता है। |
| 143. 7 प्रवेश प्रक्रिया : | प्रवेश मेरिट/प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिया जाएगा। |
| 143. 8 शैक्षणिक वर्ष : | शैक्षणिक वर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष जुलाई से जून तक होगा। |
| 143. 9 चयन प्रक्रिया : | विश्वविद्यालय, प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ के पूर्व, समाचार पत्रों में, विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर, विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा अन्य प्रचार माध्यम जैसे टीवी और रेडियो में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा।<br>चयनित अभ्यर्थी की सूची, वेबसाइट पर, प्रदर्शित किया जायेगा अथवा विद्यार्थियों को उनके प्रवेश के बारे में सीधे सूचित किया जायेगा।<br>अभ्यर्थी जिसका परीक्षा परिणाम प्रतीक्षाधीन है पर भी लागू हो सकेगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी को अपेक्षित पात्रता मापदण्ड के लिये प्रमाण के रूप में मार्कशीट या डिग्री प्रमाणपत्र, अंतिम तारीख (कट ऑफ डेट) के पूर्व प्रस्तुत करना होगा ऐसा करने में असफल होने पर, दिया गया अनंतिम प्रवेश रद्द कर दिया जायेगा। चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश निम्नलिखित किन्हीं कारणों से निरस्त किया जा सकता है:<br>1. आवेदन पत्र अपूर्ण है।<br>2. देय तिथि पर फीस का भुगतान नहीं किया गया है।<br>3. प्रवेश के लिये अपेक्षित समर्थित दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया हो।<br>4. आवेदन पत्र में गलत जानकारी दी गई हो।<br>सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन एवं प्रस्तुति के पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को पंजीयन क्रमांक दिया जायेगा। |
| 143.10 शुल्क | प्रबंधन मंडल द्वारा तय किया जाएगा एवं छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग, रायपुर द्वारा समय–समय पर जारी किए नियमादेश का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। |
| 143.11 परीक्षा योजना : | विश्वविद्यालय परीक्षा अध्यादेश सं 29 के अनुसार, अन्यथा जब तक अपेक्षित न हो। |
| 143.12 पाठ्यक्रम संरचना : | अध्ययन मंडल द्वारा निर्मित एवं भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित। |

143.13 सामान्य : पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त विषयों में विश्वविद्यालय के कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा। तथापि विद्या परिषद की अनुशंसा पर कुलपति, परीक्षा प्रणाली या स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु सक्षम होगा।

किसी विवाद की दशा में, मामलों का विनिश्चय छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के अधिकारिता के अधीन किया जायेगा।

अटल नगर, दिनांक 3 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 3–10/2008/38–2. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03–07–2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**हिना अनिमेष नेताम,** संयुक्त सचिव.

Atal Nagar, the 3rd July 2023

NOTIFICATION

No. F 3-10/2008/38-2. – Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 619/PU/S&O/2008/18256, Dated 15-05-2023 has approved the New Ordinance No. 140, 141, 142 & 143 of Mats University, Gullu, Aarang, District-Raipur, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette on the condition of obtaining permission from the concerned Department and Regulatory/Statutory Body.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
HINA ANIMESH NETAM, Joint Secretary.

# Ordinance 140
## Bachelor of Science in Applied Psychology with Honors
### (B. Sc.(Honors) Applied Psychology )

| | |
|---|---|
| 140.1. Introduction: | This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Bachelor of Science abbreviated as B.Sc. (Honors) Applied Psychology. |
| 140.2. Title: | B. Sc.(Honors) Applied Psychology |
| 140.3. Faculty: | Science |
| 140.4. Duration: | Three Years (Six semesters) |
| 140.5. Eligibility: | Passed 10+2 examination from CG Board of Higher Secondary Education or any other recognized Board of Higher Secondary Education with Science and Psychology. |
| 140.6. Seats: | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 140.7. Admission Procedure: | Admission shall be granted on the basis of Merit/Entrance Examination. |
| 140.8 Academic year: | The academic session generally will be from July to June every year. |
| 140.9. Selection Procedure: | The University will issue admission notification in newspapers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The center will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:<br>1. The application form is incomplete in anyways. |

2. The fees not paid by the due date.
3. Supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is given in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

140.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

140.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise.

140.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies and Approved by the Academic Council.

140.13. General: In all matters, pertaining to the course, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of the Chhattisgarh.

# Ordinance 141
## Master of Science in Applied Psychology
### (M. Sc. Applied Psychology)

| | |
|---|---|
| 141.1. Introduction: | This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Master of Science abbreviated as M.Sc. Applied Psychology |
| 141.2. Title: | M.Sc. Applied Psychology |
| 141.3. Faculty: | Science |
| 141.4. Duration: | Two Years (Four semesters) |
| 141.5. Eligibility: | Graduate with B.A. Psychology/ B.Sc. from Recognized university by UGC of India. |
| 141.6. Seats: | The basic unit will be of 60 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 141.7. Admission Procedure: | Admission shall be granted on the basis of Merit/Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to. |
| 141.8 Academic year: | The academic session generally will be from July to June every year. |
| 141.9. Selection Procedure: | The University will issue admission notification in newspapers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The center will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:<br>1. The application form is incomplete in anyways.<br>2. The fees not paid by the due date. |

3. Supporting documents required for admission are not enclosed.
4. Wrong information is given in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

141.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

141.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise.

141.12. Course Structure: As framed by the Board of Studies and Approved by the Academic Council.

141.13. General: In all matters, pertaining to the course, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Academic Council the Vice- Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of the Chhattisgarh

# Ordinance 142
## Master of Philosophy in Clinical Psychology
### ( M. Phil Clinical Psychology )
### (Approved by Rehabilitation Council of India)

| | |
|---|---|
| 142.1. Introduction: | This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Master of Philosophy in Clinical Psychology |
| 142.2. Title: | M. Phill Clinical Psychology |
| 142.3. Faculty: | Arts and Humanities |
| 142.4. Duration: | Two Years (Yearly) |
| 142.5. Eligibility: | Post graduate with M.Sc. Psychology / M.A. Psychology from Recognized University by UGC of India. |
| 142.6. Seats: | The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 142.7. Admission Procedure: | Admission shall be granted on the basis of Entrance Examination. |
| 142.8 Academic year: | The academic session generally will be from July to June every year. |
| 142.9. Selection Procedure: | The University will issue admission notification in newspapers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The center will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission May be rejected due to following reasons:<br>1. The application form is incomplete in anyways.<br>2. The fees not paid by the due date. |

3. Supporting documents required for admission are not enclosed.

4. Wrong information is given in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

142.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

142.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise and as per the detailed course metrics.

142.12. Course Structure: As framed and Approved by the Rehabilitation Council of India.

142.13. General: In all matters, pertaining to the course, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Rehabilitation Council of India the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of the Chhattisgarh.

# Ordinance 143
# Professional Diploma in Clinical Psychology
## (PDCP)
## (Approved by Rehabilitation Council of India)

| | |
|---|---|
| 143.1. Introduction: | This Ordinance shall be known as MATS University Ordinance for Professional Diploma in Clinical Psychology. |
| 143.2. Title: | Professional Diploma in Clinical Psychology |
| 143.3. Faculty: | Arts and Humanities |
| 143.4. Duration: | One Year (Full time) |
| 143.5. Eligibility: | Post graduate degree with M.A/ M.Sc. in Psychology from any UGC recognized University. |
| 143.6. Seats: | The basic unit will be of 30 seats. Multiples of this unit can also be set up by the Board of Management. |
| 143.7. Admission Procedure: | Admission shall be granted on the basis of Entrance Examination. Reservation policy of the state government shall be adhered to. |
| 143.8 Academic year: | The academic session generally will be from July to June every year. |
| 143.9. Selection Procedure: | The University will issue admission notification in newspapers, on the notice board of the university, University website and in other publicity media before the start of every cycle. The list of candidates selected for admission will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The center will also display the university's selected list. The candidates whose results are awaited can also apply. Such candidates however must produce the Mark sheets or Degree certificates, as a proof for required eligibility criteria before the cutoff date failing which, the provisional admission granted will be cancelled. The admission may be rejected due to any one all of the following reasons:<br>1. The application form is incomplete in anyways.<br>2. The fees not paid by the due date. |

3. Supporting documents required for admission are not enclosed.

4. Wrong information is given in the application form.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents & fees.

143.10. Fees: The Course fees will be as decided by the Board of Management and approved by Chhattisgarh Private University Regulatory Commission, Raipur from time to time.

143.11. Examination Scheme: As per University Examination Ordinance 29, unless provided otherwise.

143.12. Course Structure: As framed and Approved by the Rehabilitation Council of India.

143.13. General: In all matters, pertaining to the course, decision of the Vice-Chancellor of the University shall be final. However, on the recommendation of the Rehabilitation Council of India the Vice-Chancellor will be competent to change the system/pattern of Examination.

In case of any dispute, the matter shall be decided under the jurisdiction of the High Court of the Chhattisgarh.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2023.